ब. मृत्यु प्रमाण पत्र।
स. परिवार रजिस्टर की नकल।
द. यदि सरकारी कर्मचारी हो तो विभाग का प्रमाण पत्र।
ध. उपरोक्त के अलावा हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की वारिसों के बारे में आख्या। यह प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से जारी होता है—

देय शुल्क : नि: शुल्क

दैवी आपदा के अन्तर्गत सहायता :

भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, सूखा, आगजनी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के समय तहसील द्वारा आर्थिक सहायता पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। इसका विवरण निम्न है :-

● अहेतुक सहायता

इसके अन्तर्गत रु० 1500/- तक की सहायता तत्काल दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्ति को दी जाती है। कभी-कभी रु० 1000/- धनराशि एवं रु० 500 खाद्यान्न, वस्त्र आदि के रूप में दिये जाते हैं।

पात्रता - रु० 15000/-वार्षिक आय से अधिक न हो। भूमिहीन एवं सीमान्त तथा लघु कृषक (जिनके पास 2.5 से 5 एकड़ मात्र भूमि होती है) भी पात्र होते हैं।

● गृह अनुदान

पक्के मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर रु० 800/-
कच्चे मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर रु० 600/-

पात्रता - रु० 15000/- वार्षिक आय तथा भूमिहीन श्रमिक एवं सीमान्त तथा लघु कृषक हो।

● मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त की स्थिति में

आवासीय झोपड़ी पूर्ण रूप से ध्वसत होने पर रु०1000/-सभी प्रभावितों को।

पक्का मकान — अधिकतम रु० 7,500/- सभी प्रभावित व्यक्तियों को।
कच्चा मकान — अधिकतम रु० 5,000/- सभी प्रभावित व्यक्तियों को।

☐ मैदानी क्षेत्र के जिलों में तीन कमरों के पक्के मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर (चारो दीवारें व छत गिरने पर) रु० 25000 (कोई आय सीमा नहीं)।

☐ भूस्खलन से ध्वस्त पक्के मकान पहाड़ी क्षेत्रों में रु० 25000 (कोई आय सीमा नहीं)।

नोट :— तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त मकान का सत्यापन करेंगे।

● अनुग्रह अनुदान (विशेष सहायता)

☐ अधिकतम रु० 1.00 लाख कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु पर।
☐ अधिकतम रु० 50,000 (पचास हजार) अन्य की मृत्यु पर।
☐ पूर्ण रूप से अपंगता (स्थायी) पर रु० 10,000/- प्रति व्यक्ति।
☐ दैवी आपदा से गंभीर रूप से एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती होने पर रु० 2,500/-
☐ बड़े पशुओं की मृत्यु पर रु० 2000/-
☐ छोटे पशुओं की मृत्यु पर रु० 500/-

(पशुओं की मृत्यु के संबंध में पात्रता रु० 15000/- वार्षिक आय, भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषक) दैवीय आपदा की सूचना अपने हल्के के लेखपाल को तत्काल दें। वह पूर्ण विवरण अपने उच्च अधिकारियों को भेजेगा, जो उपरोक्तानुसार सहायता स्वीकृत करेंगे एवं वितरित किये जाने की व्यवस्था करेंगे।